पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 91/2017

अनवान :

जयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. बिमला पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 88/88 के खसरा सं0 676 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 0.030 है0 में प्रतिवादिया सं0 1 के बजाय वादी जयसिंह खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार प्रतिवादिया सं0 1 बिमला का नाम कलमजन कर वादी जयसिंह को 0.030 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-10-17 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 91/2017

अनवान :

जयसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. बिमला पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्तकारी अधि0 व 136 राज0लैण्ड0रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : वादी

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलसीसर के पुराना खाता सं0 87/80 के खसरा सं0 645 की 4.0220 है0 कृषि भूमि में वादी की 3.773 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, वर्तमान में उक्त खाता सं0 274/276 है।

वादी ने अपने नाम दर्ज उपरोक्त खसरा सं0 645 में से प्रतिवादी सं0 1 को 0.030 है0 कृषि भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 14.07.2010 को बेचान कर दी तथा उक्त बेचान किये 0.030 है0 कृषि भूमि का प्रतिवादी सं0 1 बिमला के पक्ष में नामान्तरण भी दर्ज हो गया, जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी के नाम से ग्राम मलसीसर के खाता सं0 88/87 के खसरा सं0 676 की 4.7420 है0 कृषि भूमि भी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी ने खसरा सं0 645 में दर्ज अपने हिस्सा की कृषि भूमि में से 0.030 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को बेचान की थी और उसका नामान्तरण भी प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में दर्ज भी हो गया, लेकिन प्रवितादी सं0 3 ने उक्त बेचान की गई 0.030 है0 कृषि भूमि का नामान्तरण खसरा सं0 676 में भी कर दिया अर्थात् वादी द्वारा बेचान की गई कृषि भूमि का नामान्तरण 645 के साथ 676 में भी कर दिया जो मात्र खसरा नं0 645 में भी होना चाहिए था। इसलिए वादी खाता सं0 88/87 के खसरा सं0 676 में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलम जन करवाकर उसके नाम दर्ज 0.030 है0 कृषि भूमि का अपने आप को काश्तकार घ षित करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाने का मजाज कानूनी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने

आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादिया सं0 1 के नाम दोनों खसरों 676 व 645 में 0.030 – 0.030 है0 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार खाता सं0 87/80 में से 0.030 है0 कृषि भूमि ही प्रतिवादिया सं0 1 को बैय की गई थी इस बाबत प्रतिवादिया सं0 1 ने प्रस्तुत राजीनामा में स्पष्ट किया है कि मुझ प्रतिवादिया बिमला ने वादी जयसिंह से खसरा सं0 645 में से 0.030 है0 कृषि भूमि जरिये विक्रयपत्र खरीद की थी, लेकिन उक्त खरीद की गई 0.030 है0 कृषि भूमि का नामान्तरण खसरा सं0 645 के साथ साथ खसरा सं0 676 में भी कर दिया इसलिए खसरा सं0 676 मेंसे मुझ प्रतिवादिया सं0 1 बिमला का नाम कलमजन किया जाकर उक्त 0.030 है0 का वादी जयसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। मुझ प्रतिवादिया ने खसरा सं0 645 में से ही 0.030 है0 कृषि भूमि खरीद की है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम मलसीसर के खाता सं0 88/88 के खसरा सं0 676 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 0.030 है0 में प्रतिवादिया सं0 1 के बजाय वादी जयसिंह खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार प्रतिवादिया सं0 1 बिमला का नाम कलमजन कर वादी जयसिंह को 0.030 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़